उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-वी0एम0-11/62-2-2017-18एम0आई0/2017

लखनऊ: दिनांक: 20 जुलाई,2017

कार्यालय ज्ञाप

श्री आलोक कुमार सिन्हा, तत्कालीन अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद सम्प्रति अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, कानपुर के विरूद्ध, लघु सिंचाई खण्ड, इलाहाबाद के कार्यकाल के संबंध में प्राप्त श्री आशुतोष टण्डन गोपाल जी, मा0 मंत्री, प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 22.05.2017 के साथ संलग्न डा0 अजय कुमार, मा0 विधायक, बारा (264), इलाहाबाद के शिकायती पत्र दिनांक 13.05.2017 (छाया प्रतियाँ संलग्न) में उल्लिखित शिकायतों (बिन्दु-1 से 4) की जॉच हेतु निम्नलिखित त्रि-सदस्यीय जॉच समिति गठित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) श्री पी0 आर0 चौरसिया, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ। — अध्यक्ष

(2) श्री आशुतोष चतुर्वेदी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ। — सदस्य

(3) श्री रमाकान्त तिवारी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, फैजाबाद। — सदस्य

2- त्रि-सदस्यीय जॉच समिति को निर्देशित किया जाता है कि उक्त शिकायती पत्रों में की गयी शिकायतों (बिन्दु-1 से 4) की जॉच कर विस्तृत एवं सुस्पष्ट जॉच आख्या दिनांक 05.8.2017 तक शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संदीप कौर,
विशेष सचिव।

सं0-वी0एम0-11(1)/62-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- श्री पी0 आर0 चौरसिया, मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

2- श्री आशुतोष चतुर्वेदी, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, लघु सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।

3- श्री रमाकान्त तिवारी, अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई खण्ड, फैजाबाद।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in